International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 9, Issue 03, March 2022
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

माउंटबेटन और भारत का विभाजन

राजेश रांझा

एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास

पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय, करनाल

भारत का विभाजन विश्व इतिहास की अनोखी व दुखदाई घटनाओं में से एक है। इस घटना के महत्व का अनुमान इन आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा सकता है कि विभाजन के दौरान लगभग 17 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। 4 से 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई व लगभग एक लाख महिलाओं को अपहरण या बलात्कार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लुई निकालस माउंटबेटन और भारत के विभाजन के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार हमारे सामने आते हैं। मेरा इस लेख में प्रयास यह रहेगा कि हम माउंटबेटन के इस विभाजन संबंधी कार्यों का विश्लेषण कर सके।

20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन में प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली ने घोषणा की थी कि "महामना सम्राट" की सरकार यह स्पष्ट करने को प्रस्तुत है कि भारत का प्रशासन वही के किसी योग्य हाथों में सौंप देने का निश्चित निर्णय सरकार ने ले लिया है और वह सभी आवश्यक कदमों को उठाना चाहती है। जिससे जून 1948 तक शक्तियों का स्थानांतरण आवश्यक हो जाए।

इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। माउंटबेटन महारानी विक्टोरिया का पढपोत्र सम्राट जॉर्ज छठे का दूर का भाई था। वह दक्षिण पूर्वी एशिया में सुप्रीम 'एलाइड कमांडर' के पद पर कार्य कर चुका था तथा कई बार दिल्ली आया था। भारत के अंतिम वायसराय की कुर्सी के लिए वह एक योग्य व्यक्ति था। 24 मार्च 1947 को जब वह भारत आया तब भारत की स्थिति पूरी तरह दुखदाई थी। लार्ड वेवल ने उसे भारत की समस्या के बारे में एक फाइल दी जिस पर लिखा था "ऑपरेशन मैड हाउस"। वेहवाल के प्रस्ताव के अनुसार चलने का तो यही एक अर्थ

निकलता था कि अंग्रेज भारत को भगवान के भरोसे छोड़कर खिसक रहे हैं। एटली की घोषणा की प्रतिक्रिया मोहम्मद अली जिन्ना पर इस तरह पड़ी कि वह आश्वस्त। थे कि अब केवल पाकिस्तान की मांग पर खड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि उद्घोषणा से यह स्पष्ट था कि सत्ता का हस्तांतरण एक से अधिक शक्तियों के बीच होगा। एटली के वक्तव्य से संबंध में पंजाब के गवर्नर की यह चेतावनी सही साबित हुई कि अब इसके परिणाम स्वरुप व्यवस्था का बिखरना संभावित था। और ऐसी स्थिति में लोग अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

पंजाब, जिन्ना के सपने पाकिस्तान के निर्माण का केंद्र बिंदु था। 1946 के चुनाव में 175 में से 79 सीट प्राप्त करने पर भी लीग सरकार नहीं बना सकी। कांग्रेस यूनियनिस्ट तथा अकाली दल ने मिलकर सरकार का निर्माण किया। हयात खान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। नई सरकार के खिलाफ मुस्लिम लीग ने आंदोलन छेड़ दिया तथा सांप्रदायिकता चारों तरफ आग़ की तरह फैल गई। खिज़्र हयात खान को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। मोहम्मद हसन चौधरी ने खिज़्र हयात खान को गद्दार हयात खान का नाम दे डाला। तथा शौकत हयात खान ने उसे काफिर घोषित कर दिया। अतः बढ़ते हुए दबाव के कारण 3 मार्च 1947 को हयात खान ने अपना इस्तीफा दे दिया और इसने नॉन मुस्लिम लीग लोगों को चिंता में डाल दिया। क्योंकि अब तक यूनियनिस्ट बहुसंख्यको व हिंदू और सिखों के बीच बफर का काम करती थी। 4 मार्च को हिंदू तथा सिख विद्यार्थी अपने हाथों में स्लोगन लेकर सड़कों पर निकल आए। "पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिन्ना मुर्दाबाद", मास्टर तारा सिंह अपनी तलवार निकाल कर जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। और नारा लगाया "राज करेगा खालसा, बाकी रहे ना कोई", अब दंगे संपूर्ण पंजाब में फैल चुके थे।

भारत आते ही माउंटबेटन ने यहां की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी। 24 मार्च से 15 अप्रैल तक विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं से बातचीत की तथा प्रांतो के गवर्नरो की एक सभा बुलाई। कांग्रेस के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभभाई पटेल, माउंटबेटन से कई बार मिले। मोहनदास करमचंद गांधी की उनसे प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई।

गांधी जी ने सुझाव देते हुए कहा "आप जिन्ना साहब से कहिए मैं सत्ता आपको सौंपता हूं। मैं आपसे प्रधानमंत्री बनने को कहूंगा कि संयुक्त भारत के प्रशासन के लिए सरकार बनाएं", परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं व कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं हुआ।

जिन्ना की माउंटबेटन से 6 अप्रैल को पहली मुलाकात हुई। उनके बीच कुल 6 मुलाकातें हुई जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह मिशन कमीशन को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "You must carry out a surgical operation, cut India and its army family in half and give me the half that belongs to the Muslim league".

जिन्ना ने पूरे पंजाब तथा बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने का तर्क किया, परंतु कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए माउंटबेटन ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें कैबिनेट मिशन के अनुसार पांच प्रातों की स्वायत्तता और एक कमजोर केंद्र का कीड़ों से खाए हुए पाकिस्तान, जिसमें पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भाग को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, व जिसे अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा - में से एक को चुनना होगा। जिन्ना ने कहा, "I don't care, how little you give me, as long as you give it to me completely".

माउंटबेटन ने कांग्रेस नेताओं अब्दुल कलाम आजाद, जे पी कृपलानी, कृष्ण मेनन तथा मुस्लिम लीग के सचिव लियाकत अली खान से भी मुलाकात की। प्रतिनिधियों में मास्टर तारा सिंह व बलदेव सिंह के अतिरिक्त बीकानेर और भोपाल की भारतीय रियासतों के राजाओं से बातचीत की। 26 अप्रैल से 6 मई के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 मुलाकातों की श्रृंखला के बाद जिन्ना व लीग़ के रवैया को देखते हुए माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है।

अत: माउंटबेटन ने बड़ी आसानी से पहले पटेल को विभाजन के पक्ष में कर लिया। उन्होंने तथा लेडी माउंटबेटन ने अपने तर्कों के द्वारा नेहरू को भी विभाजन के पक्ष में कर लिया। उन्होंने तर्क दिया कि जिन्ना की विदाई के बाद बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी। सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने यह महसूस किया कि गृह युद्ध होने से अच्छा है भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया जाए।

तब माउंटबेटन ने एक वैकल्पिक गुप्त योजना बनाई जिसे प्लान बाल्कन का गुप्त नाम दिया गया। इसमें विभिन्न प्रांतो को यदि हस्तांतरण से पूर्व संघ बनाया जाए तो संघ को सत्ता का हस्तांतरण करने की बात थी। जिसमें पंजाब तथा बंगाल की विधानसभाओं को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो अपने प्रांतों का विभाजन कर ले। इस प्रकार बनने वाली विभिन्न इकाइयां और राजवाड़े सर्वोच्चता समाप्त होने से स्वतंत्र हो जाएंगे और उनको यह स्वतंत्रता होगी कि वह चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे। लेकिन यह योजना तब शीघ्र ही त्याग दी गई जब 17 मई को शिमला सम्मेलन में माउंटबेटन ने

व्यक्तिगत रूप से नेहरू को इसकी सूचना दी और नेहरू ने इस पर अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की। इसके बाद बी पी मेनन की वह योजना उठाई गई जिसमें डोमिनियन स्टेटस के आधार पर भारत और पाकिस्तान को दो केंद्रीय सरकारों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने का सुझाव था।

2 जून को इस योजना को कांग्रेस लीग व सिख नेताओं ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रकाशित कर दी। अखबारों ने इसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया। यही योजना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का आधार बनी जिसकी पुष्टि 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद और सम्राट ने कर दी और 15 अगस्त से लागू हो गई।

इस योजना के अनुसार

१. मुस्लिम प्रधान क्षेत्र के लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि यदि वह एक पृथक अधिराज का निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति होगी।

2. ऐसी स्थिति में उनके लिए एक नई संविधान सभा का गठन किया जाएगा।

3. स्वतंत्र राजवाड़े का हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से एक में विलय होने के लिए अनुमति होगी।

4. प्रांतीय विधान सभाएँ भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य होगी।

5. सिंध विधानसभा को यह निर्णय करना था कि वह वर्तमान संविधान सभा के अनुसार अपना अस्तित्व सुरक्षित रखेगी या नई संविधान सभा में सम्मिलित होगी।

6. पश्चिमी सीमा प्रांत की तत्कालीन असेंबली में कांग्रेस का बहुमत था। उसने संविधान सभा में शामिल होने के पक्ष में मत दिया था। परंतु इस प्रांत पर एक जनमत संग्रह थोप दिया गया था। कांग्रेस हाई कमान ने इसका विरोध किया परंतु अड़ी न रह सकी। अतः पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की कांग्रेस ने विरोध में जनमत संग्रह का बहिष्कार किया और यह प्रांत कुल 50.99 प्रतिशत मतों से जो प्रांत की कुल जनसंख्या के 9.5 2 प्रतिशत मत से पाकिस्तान में मिल गया।

7. असम के लिए सिलहट जिला को इसकी छूट थी कि वह जनमत के अनुसार पश्चिम बंगाल में रहे या पूर्वी बंगाल में शामिल हो जाए।

8. बंगाल तथा पंजाब के नॉन मुस्लिम एम एल ए को यह अधिकार कि वह अपने प्रांत का बंटवारा चाहते हैं या नहीं। बंगाल और पंजाब को दो भागों में बांटने के लिए एक सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया गया। सर रेडक्लिफ नाम से एक अंग्रेज जज को विभाजन रेखा खींचने की जिम्मेदारी दी गई। पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान में बांट दिया गया। कोलकाता हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया। रेखा खींचते। समय पहला। ध्यान यह रखा गया कि मुसलमान और गैर मुसलमान में से आबादी का प्रतिशत किन का अधिक है। इस कारण आर्थिक रूप से बंगाल को बहुत अधिक नुकसान हुआ। पूर्वी बंगाल जो जूट का प्रमुख उत्पादक था, पाकिस्तान में चला गया। परंतु कपड़ा उत्पादकों की। अधिकतर मिले कोलकाता में थी जो भारत में आ गई। 55 प्रतिशत आबादी पाकिस्तान तथा 45% आबादी हिंदुस्तान में रह गई। इसी तरह पंजाब को दो हिस्सों - पूर्वी पंजाब जिसके अंतर्गत जालंधर के तीन जिले अंबाला डिवीजन, अमृतसर जिला, गुरदासपुर, पूर्वी पंजाब की तीन नदियां, 38% भूमि व 45% जनसंख्या भारत के हिस्से में आई। शेष पश्चिमी पंजाब में, जिसमें 62 प्रतिशत भूमि व 55% जनसंख्या पाकिस्तान के हिस्से में आ गई।

इस योजना की प्रस्तुति के बाद देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक बार पुनः विस्थापन का वातावरण छा गया। इन क्षेत्रों, विशेषकर पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं तथा शेष भारत में रहने वाले संभावित मुसलमान में आशंका का वातावरण उत्पन्न हो गया। क्योंकि इस योजना में विभाजन को अवश्यगामी बना दिया जिससे भविष्य में उनकी स्थिति पर सीधा प्रभाव करने वाला था।

इस प्रकार इस योजना के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई परंतु 15 अगस्त के अंतर विरोध आज तक इतिहासकारों को हैरान कर रहे हैं। सीमा को दोनों तरफ के लोगों को भी उनके नतीजो से मुक्ति नहीं मिल पाई।

आजादी एक लंबे गौरवपूर्ण संघर्ष के बाद हासिल की गई थी और इसे करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ था। परंतु अनेक वर्षों तक भारत में मुसलमान और पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए स्वतंत्रता का अर्थ रहा --अचानक भड़क उठने वाले हिंसा तथा आर्थिक अवसरों की तंगी के बीच या अपनी पीढ़ियां पुरानी जड़ों से उखाड़ कर शरणार्थियों के रेले में सम्मिलित हो जाने के बीच, चयन करना।

जनसंख्या का पूर्ण और बलात स्थानांतरण हो गया। लोग 47 लाख एकड़ भूमि पूर्वी पंजाब में और 67 लाख एकड़ भूमि पश्चिमी पंजाब में छोड़ आए। कुल मिलाकर "मुसलमानो को जान का नुकसान अधिक हुआ था और हिंदुओं, सिखों को माल का"। मध्य तथा पूर्वी पंजाब

में जहां दोनों समुदाय बराबरी पर थे, खत्म करने की नीति अधिक महत्वपूर्ण थी। विशेष रूप से सिक्ख मुसलमान को खत्म करने या उन्हें खदेड बाहर करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। ताकि पश्चिम से आने वाले 20 लाख सिखों के लिए जमीन मुहैया कराई जा सके।

रणार्थियों की समस्या दुनिया में समय-समय पर पैदा होती रही थी। परंतु भारत विभाजन के समय आया शरणार्थियों का कारवां, मानव इतिहास का सबसे बड़ा कारवां था। जिसमें 8 लाख व्यक्ति एक साथ चलते देखे गए। मध्य पूर्व में इज़राइल की निर्माण के साथ जितने शरणार्थियों का देशांतर किया गया था उसे 10 गुना अधिक शरणार्थी भारत के विभाजन के साथ सड़कों पर आ गए। यह सब मात्र दो माह की अल्प अवधि में हुआ। अनगिनत परिवारों को मात्र कुछ मिनट के समय में अपने घर छोड़ने पड़े। कुछ के पास इतना भी समय नहीं था कि वह अपने परिवार के उन सदस्यों का इंतजार कर सके जो उस समय घर से बाहर गए हुए थे।

इस प्रकार स्वतंत्रता असंख्य परिवारों के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई। लाखों लोग इस राजनीतिक खेल का शिकार हुए परंतु इसमें माउंटबेटन का क्या उत्तरदायित्व था। इस प्रक्रिया में माउंटबेटन ने नाम के साथ एक गौरव गाथा जुड़ गई है कि जो सबसे अधिक स्पष्ट होती है हेनरी कैलेमस और डोमिनिक लैपियर की रचना - "भारत विभाजन और लॉर्ड माउंटबेटन" में जो अखबारी किस्म का अत्यंत लोकप्रिय लेख है। किंतु अंग्रेजों और भारतीयों के बीच भी माउंटबेटन की छवि एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ और छबीले राजकुमार की बन गई है जिसने अपने आकर्षक व्यक्तित्व और चतुराई से भारतीय प्रायद्वीप की समस्याओं को पलक झपकते ही हल कर दिया था। यह छवि निश्चित ही अतिशयोक्ति पूर्ण है। यदि माउंटबेटन अपने पूर्ववर्ती वायसराय की तुलना में निश्चयपूर्वक और शीघ्र निर्णय ले सका तो इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौके पर निर्णय लेने के लिए अनौपचारिक रूप से कहीं अधिक शक्तियां प्रदान की।

माउंटबेटन के कार्यभार संभालने से पहले ही विभाजन सहित स्वतंत्रता की बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी थी। सत्ता हस्तांतरण की तिथि जून 1948 तक तय की गई थी परंतु माउंटबेटन उस ताबड़तोड़ गति के लिए पर्याप्त उत्तरदाई थे। जिससे हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई। उसने सत्ता हस्तांतरण की तिथि लगभग एक वर्ष पहले करते हुए 15 अगस्त 1947 की दी थी। परंतु जिस तेजी से भारत का विभाजन हुआ वह भारतीय दृष्टि से बड़ा ही दुखदाई था। अंग्रेजों को इससे फायदा हुआ क्योंकि बिगड़ी सांप्रदायिक स्थिति के उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्ति मिल गई। जिस समय सांप्रदायिक दंगों की अग्नि पूर्ण रूप से

फैली हुई थी उस समय माउंटबेटन ने जिन्ना को पाकिस्तान में नेहरू को भारत सौंपने की जल्दबाजी की। माउंटबेटन ने केवल विभाजन के बाद होने वाले विस्थापन को समझने में नाकामयाब रहे बल्कि सता ऐसे नेताओं को सौंपी जो इस तरह की परिस्थितियों में प्रशासन संभालने के अनुभवी नहीं थे।

जैसे कि नेहरू ने स्वयं कहा था-"हमें इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष तो हमने जेल में बंद होकर गुजार दिए। हम सत्याग्रह करने के अनुभवी हैं, शासन करने के नहीं"। कुछ अंग्रेज अधिकारी जैसे सेना अध्यक्ष व पंजाब के गवर्नर का यह मत था कि शांतिपूर्ण विभाजन के लिए कम से कम दो वर्षों का समय मिलना चाहिए। सीमा आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ ने भी सीमा निर्धारण के लिए दो वर्षों का समय मांगा, पर रेडक्लिफ को सीमा निर्धारण के लिए 10 अगस्त तक लगभग दो माह का समय तय किया गया। रेडक्लिफ ने इतने कम समय में निर्धारण के बारे में कहा था कि मुझे ऑपरेशन करने के डॉक्टरी औजारों की नहीं, बल्कि बूचड़खाने की कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। जिन क्षेत्रों से विभाजन रेखा गुजरेगी उनमें से अधिकांश को मैं सामने कभी देखूंगा भी नहीं।

रेडक्लिफ ने ही विभाजन रेखा 12 अगस्त तक तैयार कर ली थी परंतु संकट पूर्ण स्थिति के उत्तरदायित्व से बचने के लिए माउंटबेटन ने सीमा आयोग का निर्णय 18 अगस्त को सुनाया। विभाजन की तीव्रता और सीमा आयोग के निर्णय में विलंब ने विभाजन की त्रासदी को और गंभीर बना दिया। इसके कारण आम नागरिक और अधिकारी उलझन में पड़ गए। लाहौर और अमृतसर के बीच के गांव में रहने वाले लोग इस आशा में अपने निवास स्थान पर टिके रहे कि वह सही सीमा के अंतर्गत रह रहे हैं। देशांतर गंभीर मामला बन जाता है और अक्सर इसका परिणाम होता है, कत्लेआम। अधिकारीगण अपने स्थानांतरण के चक्कर में पड़े हुए थे। लेखार्ट ने जो 15 अगस्त से लेकर 3 दिसंबर 1947 तक भारतीय सेना अध्यक्ष थे, स्थिति का स्पष्ट ब्यूरो इन शब्दों में दिया, "अगर प्रशासनिक संघ और सैन्य सेवा के अधिकारियों को विभाजन से पहले देश भेज दिया जाता तो अव्यवस्था को रोकने में ज्यादा सफलता मिलती। अंततः माउंटबेटन उसे गर्दन तोड़ गति के लिए पर्याप्त उत्तरदाई थे जिसमें हस्तांतरण की समस्त प्रक्रिया पूरी हुई। किंतु इससे विभाजन के ब्यौरे को व्यवस्थित करने में अनेक विसंगतिया रह गई और यह पंजाब के नरसंहार रोकने में बिल्कुल असफल रही। हालांकि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इन सब के लिए माउंटबेटन पूर्ण उत्तरदाई था। परंतु उसे इस आरोप से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर पेंडल मून के इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है कि भारत से जिस ढंग से हम बाहर निकले उसके महान श्रेय का माउंटबेटन का दावा कुछ खोखला प्रतीत होता है।

संदर्भ -ग्रंथ सूची:

(01) सत्यम राय---- पार्टीशन ऑफ़ द पंजाब (मुंबई 1965)

(02) कृपाल सिंह------ द पार्टीशन ऑफ़ पंजाब (पटियाला 1972)

(03) लेरी कॉलिंस और लापियर ------फ्रीडम तो मिडनाइट (1982 ऑक्सफोर्ड)

(04) फेडरल मून -------डिवाइड एंड क्यूट (लंदन 1961)

(05) डेविड पेज ------- प्रीलयूड टु पार्टीशन :द इंडियन मुस्लिम एंड द इंपीरियल सिस्टम ऑफ़ कंट्रोल 1920 1932 (ऑक्सफोर्ड लंदन 1982)

(06) डॉ भीमराव अंबेडकर------- पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ़ इंडिया (मुंबई 1940).

(07) अनीता इंदर सिंह-------- भारत का विभाजन (नई दिल्ली 2007)

(08) जसवंत सिंह-------- जिन्ना: भारतीय विभाजन के आईने में (दिल्ली 2009)

(09) मौलाना आजाद -----इंडिया विंस फ्रीडम (मुंबई 1959)

(10) सत्य एम. राय भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (दिल्ली 1983)

(11) हिमांशु राय------ भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (दिल्ली 2013)

(12) प्रो. विपिन चंद्र ------भारत का स्वतंत्रता संघर्ष (1990 दिल्ली)।